

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Gurugram Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

06/04/2023 13:24 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	418
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	IPC 1860	477-A
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
12	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
13	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/04/2023 Time (समय): 09:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 06/04/2023 12:30 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 10 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Yudhbir Singh

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 12/01/1977 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	ChDadr, DADRI SADAR, BHIWANI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	ChDadr, DADRI SADAR, BHIWANI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9050535666

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	हरिश कुमार निदेशक		Father's Name: हरभगवान सिंह	1. M/s Janghu Real Estate Pvt Ltd,VPO-Daultabad,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	श्री दर्पण कम्बोज तहसीलदार			1. तहसीलदार गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	श्री दिनेश तत्कालीन ZTO HQs			1. ZTO HQs,MCG गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	श्री रविन्द्र सिंह निदेशक		Father's Name: श्री उजागर सिंह	1. C-6/12,Model Town-III,Delhi,NORTH WEST,DELHI,INDIA
5	MS Nippon Steering and Suspen			1. 313,3RD Floor,Vardhman Fortune Mall,Near Gujjarwala Town Delhi,NEW DELHI,DELHI,INDIA
6	Ms Janghu Real Estate Pvt.Ltd			1. Registered Office Dhankot,GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
7	तत्कालीन Joint Commissioner			1. MCG GURUGRAM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
8	अन्य कर्मचारी नामालूम			1. राजस्व विभाग व नगर निगम GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे प्रबन्धक अफसर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे प्रारूप (Draft) तहरीर । निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 07 दिनांक 01.09.2022 गुरुग्राम मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठ क्रमांक 62/43/2022-4 चौ0(II) दिनांक 25.08.2022 व महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो(ह0) कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 14180/आई-2/राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) दिनांक 01.09.2022 के अनुसार आसुचना रिपोर्ट पर दर्पण सिंह तहसीलदार गुरुग्राम, रविन्द्र सिंह पुत्र उजागर सिंह निवासी दिल्ली निदेशक M/S Nippon Steering Suspension Pvt. Ltd. तथा हरिश कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी गांव दौलताबाद निदेशक जांघू रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड धनकोट गुरुग्राम के विरुद्ध दर्ज हुई थी ।

जांच में आरोप थे कि राजस्व विभाग के नियम अनुसार औद्योगिक प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट व रिहायशी प्लॉटों की रजिस्ट्री की अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है । तथा सरकार की नई नीति के अनुसार सभी प्रकार की रजिस्ट्री Online होनी निश्चित हुई है । ताकि रजिस्ट्री करते समय उस Property की Online सही कीमत व उस पर लगने वाली Stamp Duty राशि का भुगतान सरकार को ठीक प्राप्त हो सके। लेकिन श्री रविन्द्र सिंह, निदेशक M/S Nippon Steering Suspension Pvt. Ltd. ने अपनी औद्योगिक जमीन कुल रकबा 2 बीघा, 19 बिसवा 16 बिसवांसी राजेन्द्रा पार्क गुडगांवा में है, जिसकी प्रोपर्टी ID नम्बर 106C100U52 नगर निगम में पंजीकृत है । जिसकी कुल कीमत औद्योगिक क्षेत्र के कलैक्टर रेट के हिसाब से राजस्व विभाग के अनुसार 40,03,39,800/- रुपये बनती है । जिस पर स्टाम्प ड्यूटी करीब 2,80,23,786/- रुपये बनती है । जो श्री रविन्द्र सिंह ने उपरोक्त औद्योगिक जमीन को श्री दर्पण सिंह कम्बोज, तहसीलदार गुरुग्राम व श्री हरिश कुमार ने आपसी मिलीभगत करके वसीका नम्बर 9235 दिनांक 07.01.2022 उपरोक्त जमीन की किस्म कृषि भूमि दिखा कर offline रजिस्ट्री करते हुए भूमि मात्र 8 करोड़ रुपये में हरिश कुमार उपरोक्त को बेच दी । जिसकी स्टाम्प ड्यूटी कुल 56 लाख रुपये सरकार को प्राप्त हुई । इस प्रकार श्री रविन्द्र कुमार जमीन विक्रेता, हरिश कुमार क्रेता व श्री दर्पण सिंह कम्बोज, तहसीलदार, गुरुग्राम ने आपसी मिलीभगत करके सरकार को 2,24,23,786/- रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की राशि का नुकसान पहुंचाया है ।

आरोप की पड़ताल के दौरान उपायुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 75-76/आर0ए0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार भूमि की मेनुवल रजिस्ट्री पंजीकृत कराने की अनुमति प्रदान की गई । श्री रविन्द्र सिंह, निदेशक M/S Nippon Steering Suspension Pvt. Ltd. न सैक्टर-106 गुरुग्राम नजदीक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के पास 2 बीघा, 19 बिसवा 16 बिसवांसी भूमि श्री हरिश कुमार. निदेशक M/s Janghu Real Estate Pvt, Ltd., Registered Office at Dhankot, Gurugram पुत्र श्री हरभगवान सिंह निवासी VPO- Daultabad, Gurugram को कृषि भूमि दिखा कर वसीका नं0 9235 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार कुल 8,00,00,000/- रुपये में बेच दी गई व इस पर कुल 56,00,000/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी ली गई । यह वसीका श्री दर्पण सिंह कम्बोज तहसीलदार गुरुग्राम द्वारा पंजीकृत की गई है ।

हल्का पटवारी गुरुग्राम की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त भूमि के खसरा नं0 53,54,5598/55,5601/55,56,10341,5602/57 खरीफ वर्ष 2022 से रबी वर्ष 2022 तक की गिरदावरी के अनुसार गैर मुमकिन भूमि दर्शाई गई है, कृषि भूमि होना नहीं दर्शाया है । श्री दर्पण कम्बोज, तहसीलदार द्वारा वसीका पंजीकृत करते समय आरोपियों से मिलीभगत करके कृषि भूमि दिखाकर कम स्टाम्प ड्यूटी लेकर आरोपियों को फायदा पहुंचाया है ।

उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम से प्राप्त शुदा रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2019-20 व वर्ष 2021-22 में कलैक्टर रेट क्रमशः कृषि भूमि का 2,80,00,000/- रुपये प्रति एकड़ रिहायशी भूमि का 27000/- रुपये प्रति वर्ग गज व औद्योगिक भूमि का 42,000/- रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया है । देवेन्द्र सिंह, ऑडिटर राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वसीका नं0 9235 दिनांक 07.01.2022 की भूमि औद्योगिक क्षेत्र में आती है । जिसकी कुल कीमत 40,56,15,600/- रुपये व 7% के हिसाब से कुल स्टाम्प ड्यूटी 2,83,93,092/- रुपये बनती थी । लेकिन वसीका पर कुल स्टाम्प ड्यूटी 56,00,000/- रुपये बसूल करके सरकार को कुल 2,27,93,092/- रुपये की वित्तिन हानि मिलीभगत करके आरोपियों द्वारा पहुंचाई गई है ।

श्री रविन्द्र सिंह, निदेशक M/s Nippon Steering and Suspension Pvt. Ltd., 313, 3rd Floor, Vardhman Fortune Mall, Near Gujjarwala Town, G.T. Karnal Road, Delhi-110033 पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी C-6/12, Model Town –III North West Delhi, Delhi -110009 ने गुरुग्राम की राजस्व सीमा में सैक्टर 106 नजदीक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के पास कुल 6 बीघा, 07 बिसवा व 13 बिसवांसी जमीन (कुल 31 कनाल 18 मरला) समय -2 पर खरीद की थी । उपरोक्त भूमि नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय के रिकार्ड अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा थी जिसकी Property ID No. 106C100U52 कार्यालय नगर निगम गुरुग्राम में रविन्द्र सिंह के नाम से पंजीकृत थी । यह सम्पत्ति नगर निगम गुरुग्राम में वर्ष

2019-20 के रिकार्ड अनुसार Category के Column में “Industrial” व Property Type के Column में “Industrial” दिखा रखी थी। इस सम्पत्ति का सम्पत्ति कर कुल 14,89,471.00 रुपये दिखाया गया था। जिसकी अदायगी रसीद न0 1239196 दिनांक 20.05.2019 के अनुसार रविन्द्र सिंह द्वारा कार्यालय नगर निगम गुरुग्राम में की गई। Planning Branch, MCG की रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि की वास्तविक Category “Industrial” तथा Status “Unapproved” था जो NDC, DULB Portal पर दिनांक 19.01.2021 को update किया गया था तथा Planning Branch के अनुसार उन्होंने हर बार NDC, DULB को भेजे जाने वाले data में इस Property ID की Category “Industrial” तथा Status “Unapproved” रखा था। परन्तु दिनांक 19.08.2021 को ZTO (HQ) की email से NDC, DULB को इस Property ID का गलत Data भेजा जाता है जिसमें Category “Mixed Use” तथा Status “Approved” भेजा गया तथा यही data NDC portal पर upload हो गया।

दिनांक 19.08.2021 को Category “Mixed Use” and Status “Authorised” दिखाया गया और इस सम्पत्ति का कुल Development charge Rs. 9,84,000.00 दिखाया गया था। इस सम्पत्ति को बिक्री करने के लिये श्री रविन्द्र सिंह ने इस Property ID की कार्यालय नगर निगम गुरुग्राम से “No Dues Certificate” प्राप्त की थी। Property ID No. 106C100U52 की No Dues Certificate जारी करने से पहले Development charges Rs. 9,84,000/- रसीद न0 050122128163791 के अनुसार दिनांक 23.11.2021 को 8200 वर्ग गज भूमि का जमा करवाया गया।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्पत्ति पहचान No. 106C100U52 का Status व Category जानने के लिये रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार दिनांक 19.01.2021 को श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन ZTO (HQ), MCG गुरुग्राम की email ID से भेजे गये Data से भूमि की Category “Industrial” and Status “Unapproved” व दिनांक 19.08.2021 को Category “Mixed Use” and Status “Authorised” update किया गया जिससे आरोपियों ने षडयन्त्र के तहत हेरा फेरी की तथा अनुचित लाभ उठाया है।

श्री तरुण कुमार Advocate राजेन्द्र पार्क गली न0 02 ने अपने कथन में अंकित करवाया है कि वह पेशे से Advocate है। उसका विरेन्द्र व हरीश कुमार के प्रोपर्टी हिसाब से संबंधित दोनों से मिलना हुआ जिनके पैसे के लेन देन संबंधित 01 Mail हरीश कुमार ने अपनी Mail ID से दिनांक 30.04.2022 को उसकी Mail ID पर भेजी जिसमें एक Excel सीट टैग थी। जिसको उसने विरेन्द्र की Mail ID पर दिनांक 26.05.2022 को फॉरवर्ड की थी। जिसमें तहसीलदार व नगर निगम के अधिकारियों को रिश्वत के दिये पैसे व अन्य खर्च का लेन देन का हिसाब कुल बिक्री 14,44,58,201.5 खर्च Stamp duty – 5600000, Tehsildar – 4100000/-, Clerk Fees – 50000/-, MCG- 1120000/-, Electricity – 1500000/- Road Sever- 1000000/- Joit Commissioner – 1000000/- कुल खर्च 1,43,70,000/- ₹0 व बचत 13,00,88,201.5/- अंकित था। हरीश कुमार के पूर्व पार्टनर बिरेन्द्र सिंह ने बतलाया कि यह राशि बतौर रिश्वत अधिकारियों व कर्मचारियों व कर्मचारियों को दी गई थी तथा यह ब्यौरा खर्च व दी गई रिश्वत का ही है।

आरोपी हरीश कुमार, निदेशक M/s Janghu Real Estate Pvt.Ltd., Registered Office at Dhankot, Gurugram, कम्पनी M/s Janghu Real Estate Pvt.Ltd., रविन्द्र सिंह, निदेशक M/S Nippon Steering and Suspension Pvt.Ltd., 313, 3RD Floor, Vardhman Fortune Mall, Near Gujjarwala Town, G.T. Karnal Road, Delhi – 110033, कम्पनी M/S Nippon Steering and Suspension Pvt. Ltd. ने तहसीलदार तहसील कार्यालय गुरुग्राम व अन्य सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत करके वसीका नं0 9235 दिनांक 07.01.2022 Manually Registered खरवाई तथा भूमि “औद्योगिक” क्षेत्र की होते हुए भी इसे “कृषि भूमि” के हिसाब से वसीका दर्ज करके सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगाई। इसके उपरान्त उपरोक्त आरोपियों ने नगर निगम गुरुग्राम के ZTO(HQ) व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी तरीके से Excel file में अपनी Property ID के data में फर्जी Entry डालकर भूमि का Status “Approved” तथा Category “Industrial” कर दिया जिसका फायदा इन लोगों ने अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग करने के लिए किया। वर्णित भूमि का Status “Approved” होने से वसीका नं0 9625, 9627, 9629, 9630 व वसीका नं0 9631 दिनांक 19.01.2022 को रजिस्टर करते समय Software ने 7A HDR Act, 1975 के तहत DTP द्वारा जारी NOC की मांग नहीं की तथा वसीका नं0 9625, 9627, 9629, 9630 व वसीका नं0 9631 दिनांक 19.01.2022 को तहसीलदार दर्पण सिंह कम्बोज द्वारा रजिस्टर कर दी गई। जबकि यह भूमि Unapproved क्षेत्र की थी तथा यहां रजिस्ट्री करते समय DTP की धारा 7A, HDR Act, 1975 के तहत NOC की जरूरत थी। अतः तहसीलदार दर्पण कम्बोज, तहसील गुरुग्राम के अन्य कर्मचारी व राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारी,

नगर निगम गुरुग्राम के ZTO(HQ) दिनेश कुमार तथा नगर निगम गुरुग्राम के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने आरोपियान हरीश कुमार, रविन्द्र सिंह तथा निदेशक M/S Nippon Steering Suspension Pvt. Ltd. , M/s Janghu Real Estate Pvt.Ltd., के साथ मिलकर हरीश कुमार को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनी काटने में मदद की है ।

अतः श्री रविन्द्र सिंह, निदेशक M/S Nippon Steering and Suspension Pvt. Ltd., 313, 3RD Floor, Vardhman Fortune Mall, Near Gujjarwala Town, G.T Karnal Road, Delhi-110033 पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी C-6/12, Model Town-III, North West Delhi, Delhi-110009, हरिश कुमार, निदेशक M/s Janghu Real Estate Pvt.Ltd., Registered Office at Dhankot, Gurugram पुत्र हरभगवान सिंह निवासी VPO- Daultabad, Gurugram, कम्पनी M/S Nippon Steering and Suspension Pvt. Ltd. तथा कम्पनी M/s Janghu Real Estate Pvt. Ltd. ने श्री दर्पण कम्बोज, तहसीलदार गुरुग्राम, तत्कालीन Joint Commissioner, MCG, श्री दिनेश, तत्कालीन ZTO(HQs), MCG गुरुग्राम, राजस्व विभाग के अन्य नामालूम कर्मचारी व नगर निगम गुरुग्राम के नामालूम कर्मचारी के साथ एक षडयंत्र के तहत आपस में साज बाज होकर मिलीभगत करके अपने आप को अनुचित लाभ पहुंचाकर व सरकार के राजस्व में कुल 2,27,93,092/-रुपये की वित्तीय हानि पहुंचानी पाई गई है तथा अवैध प्लॉटिंग करने में आरोपियों के साथ सम्मिलित रहे हैं । अतः उपरोक्त सभी के विरुद्ध धारा 409, 418, 420, 466, 467, 468, 471, 477A, 120B IPC 7, 8, 13(1)(b) r/w 13(2) PC Act. के तहत अभियोग अंकित करने व किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने बारे सुझाव दिया गया था । आरोपियों का यह कृत्य धारा 409, 418, 420, 466, 467, 468, 471, 477A, 120B IPC 7, 8, 13(1)(b) r/w 13(2) PC Act. की जद में आता है । आरोपियों का कृत्य Ex-Facie- Criminal Nature का है । जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII dated 25-07-2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । जांच की पड़ताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1147/भ्र0नि0ब्यू0/गुरुग्राम दिनांक 15.03.2023 के अनुसार श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी । जिस पर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 4096/I-2/ACB (H) दिनांक 07.03.2023 के अनुसार श्री रविन्द्र सिंह, निदेशक M/s Nippon Steering and Suspension Pvt. Ltd., 313, 3rd Floor, Vardhman Fortune Mall, Near Gujjarwala Town, G.T. Karnal Road, Delhi-110033 पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी C-6/12, Model Town –III North West Delhi, Delhi -110009 , हरीश कुमार , निदेशक M/s Janghu Real Estate Pvt.Ltd., Registered Office at Dhankot, Gurugram पुत्र हरभगवान सिंह निवासी VPO- Daultabad, Gurugram. कम्पनी M/s Nippon Steering and Suspension Pvt. Ltd तथा कम्पनी M/s Janghu Real Estate Pvt.Ltd., श्री दर्पण कम्बोज, तहसीलदार गुरुग्राम, तत्कालीन Joint Commissioner, MCG, श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन ZTO (HQs), MCG गुरुग्राम , राजस्व विभाग के अन्य नामालूम कर्मचारी व नगर निगम गुरुग्राम के नामालूम कर्मचारी के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । इसलिए तहरीर का प्रारूप (Draft) तैयार करके निरीक्षक प्रकाश चन्द द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1299/ACB/GGM दिनांक 25.03.2023 के अनुसार महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी । महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 5102/I-2/ACB(H) दिनांक 28.03.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है । आज मैं हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम हूँ कि उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख तैयार करके मुख्य सिपाही रवीन, न0 2585/फरीदाबाद के माध्यम से भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे । युद्धवीर सिंह (निरीक्षक युद्धवीर सिंह) अनुसंधान अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । दिनांक 06.04.2023 समय 9.10 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त मुख्य सिपाही रवीन, न0 2585/फरीदाबाद के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशाल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 युद्धवीर सिंह के पास भेजी जा रही है ।

है। आरिन्दा मुख्य सिपाही रवीन, न0 2585/फरीदाबाद के हवाले की गई। नोट- श्री मान जी, CCTNS में तकनीकी खराबी के कारण CCTNS में प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अतः अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Yudhbir Rank (पद): I (Inspector)
Singh

No. (सं.): 333 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7
संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known /
seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात
/ देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1981				Is pox pitted: Yes
2	Male	01/01/1979				Is pox pitted: Yes
3	Male	01/01/1980				Is pox pitted: Yes
4	Male	01/01/1978				Is pox pitted: Yes
5	Unknown	01/01/1960				Is pox pitted: Yes
6	Unknown	01/01/1960				Is pox pitted: Yes
7	Male	01/01/1968				Is pox pitted: Yes
8	Male	01/01/1980				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)